

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा, मुकाम मालाखेडा

लाला बनाम चुन्या वगै०

आर.टी.ए.

मु० नं० 11/63 सन-2025

किस्म मुकदमा दावा 53

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जंज

2025/258

नम्बर व तारीख
इहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

तारीख
कम

07.2025

दावा वकील वादी श्री संजय चौधरी एडवोकेट ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया, दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जर्ये रजि० नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 01.08.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

01/08/25
पत्रावली पेश हुई। पीअरलीन
अधिकारी अन्य प्रशा० कार्या
में व्यस्त है। आगुन्या दिनांक

03/10/25 को पेश हो।

रोडर

03/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को आवेज
दिल गई किंतु वकील वादी दौखर अदालत
नहीं आये। वादी स्वयं भी दौखर नहीं दूँ।
अतः वकील वादी की अर्जु० मेवाद अहकम
दौखरी अहकम परती मे रवोरिनु किया जाता है।
पत्रावली मे रसम दौखर नम्बर रसकम हो। ताद
वैत जमा लेख गोर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलकर)